संख्या-46/2022/169ई/23-11-2022-1/2(126)/2021

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2022**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में सेतुओ/आर0ओ0बी0 फ्लाई ओवर, रिहैबिलिटेशन के निर्माण/पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु तकनीकी अध्ययन एवं परियोजना का गठन एवं क्रियान्वयन इत्यादि के लिए परामर्श लेने व पुराने सेतुओं का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार हेतु व्यवस्था योजना के कार्य पर आवंटित धनराशि के सापेक्ष लैप्स धनराशि का पुन: आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-357/रेल उपरिगामी योजना (चालू कार्य)/2021-22, दिनांक 18-02-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेतुओ/आर0ओ0बी0 फ्लाई ओवर, रिहैबिलिटेशन के निर्माण/पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु तकनीकी अध्ययन एवं परियोजना का गठन एवं क्रियान्वयन इत्यादि के लिए परामर्श लेने व पुराने सेतुओं का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार हेतु व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 01 कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोषागार से आहरित न हो पाने के कारण लैप्स हुई कुल धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) को वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन पुन: अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	शा0सं0 व दिनांक	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	2020-21 में लैप्स धनराशि	पुन: आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि0ख0-2 लो0नि0 वि0 लखनऊ वास्ते सेतु निगम।	जनपद देवरिया में घाघरा नदी के तुरतीपार नदी के घाट पर निर्मित सेतु का कन्डिशन सर्वे कराते हुए रिपेयर, रिहैब्लिटेशन/स्ट्रेन्थिनिंग कार्य का निर्माण।	499.13	**सं0-339/2021/216आ/23-11-2021-1/2(126)/2021, दिनांक 25-03-2021**	200.00	0.00	200.00	200.00

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) प्रदेश के कोषागारों में लागू चेक प्रणाली से भुगतान की पद्धति के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-1638/दस-99-10(28)/72, दिनांक 25.06.1999 एवं शासनादेश सं0-ए-1-1063/दस-87-10(28)/72, दिनांक 17.06.1989 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) भविष्य में चालू कार्यों पर आवंटित धनराशि का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाय और कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये।

(6) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-39-सेतुओ/आर0ओ0बी0 फ्लाई ओवर, रिहैबिलिटेशन के निर्माण/पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु तकनीकी अध्ययन एवं परियोजना का गठन एवं क्रियान्वयन इत्यादि के लिए परामर्श लेने व पुराने सेतुओं का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-46/2022/169ई**(1)/23-11-2022-तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
10- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
13- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in